UPMB010025082023

न्यायालय अपर जिला जज (एफ0टी0सी0), महोबा।

सिविल अपील संख्या–79/2023

अरिमर्दन सिंह आदि बनाम दिनेशचन्द्र आदि,

————————————————————————————————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–41 नियम–25 सी0पी0सी0

16.07.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ हेतु नियत है। उभय पक्षों को पूर्व में सुना गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र कागज संख्या 41ग1 दिनांकित 13.11.2024 मय शपथ पत्र कागज संख्या 42ग2 को प्रस्तुत करते हुये कहा है कि उपरोक्त अपील में समेकित अपील संख्या 81/ 2023 में प्रार्थी अपीलार्थी है, उपरोक्त अपील से सम्बन्धित मूलवाद संख्या 14/ 2019 में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबावदावा के पैरा–16 में तहरीर '' दावा वादीगण आदेश 02 नियम 03 जा0 दी0 के प्रावधानों से बाधित है'' विधिक तथ्य उल्लेखित किया गया है, जिसके बावत् वाद बिन्दु निर्मित करने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 101ग2 दिनांक 19.09.2022को प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय मातहत न्यायालय द्वारा यह अभिमत अंकित करते हुये कि सम्बन्धित उक्त वाद बिन्दु का सृजन न्यायालय किसी भी स्तर पर आवश्यकता समझने पर निर्मित कर सकता है, प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था, जबकि उपरोक्त वाद में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में वाद संख्या 27/ 2016 व वाद संख्या 104/ 2016 के वाद पत्रों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गयी हैं, जिन्हें नजर अंदाज करते हुये माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधिक तथ्य के सम्बन्ध में वाद बिन्दु विरचित न करके उसका निस्तारण न करने में भूल की है जिससे प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण को माननीय अधीनस्थ न्यायालय में उचित न्याय प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिये प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबावदावा के पैरा 16 में अंकित उपरोक्त विधिक तथ्यात्मक तहरीर व वादीगण द्वारा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु निर्मित किया जाना व उस पर सुनवाई कराये जाने हेतु पत्रावली अवर न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

आपत्तिकर्ता/ उत्तरवादीगण की ओर से आपत्ति कागज संख्या 43ग2 दिनांकित 30.11.2024 मय शपथ पत्र कगाज संख्या 44क2 प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि प्रार्थना पत्र अपीलार्थी खिलाफ वाक्यात एवं खिलाफ कानून है। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.11.2024 में नये वाद बिन्दु'' क्या दावा वादीगण आदेश 2 नियम 3 जा0 दी0 के प्राविधानों से बाधित है'' सृजित होने की प्रार्थना की गई है। इसी वाद बिन्दु को सृजित किये जाने का प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा बहैसियत प्रतिवादीगण न्यायालय श्रीमान् सिविल जज सी0डि0 महोबा मूलवाद संख्या 14/ 2019 दिनेशचन्द्र आदि बनाम अरिमर्दन सिंह आदि में दिनांक 19.09.2022को कागज संख्या 101ग2 दिया था, जिसका निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2022 को किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण/अपीलान्ट, न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अपीलार्थीगण जानबूझकर अपील को लम्बा चलाना चाहते हैं, इसलिये कभी बहस तैयार तैयार नहीं की तो कभी बांदा से वकील लाना है, प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.11.2024 खारिज किया जावे।

आपत्तिकर्ता/ उत्तरवादीगण की ओर से सूची 45ग1 सूची से कागजात एक किता आदेश दिनांक 29.10.2022 न्यायालय सिविल जज सी0 डि0 महोबा वाद संख्या 38/ 2021 दिनेशचन्द्र आदि बनाम अरिमर्दन सिंह आदि डिस्पोजल एप्लीकेशन नम्बर 101सी, छाया प्रति प्रार्थना पत्र प्रतिवादी न्यायालय सिविल जज सी0डि0 वाद संख्या 38/ 2021 दिनेशचन्द्र आदि बनाम अरिमर्दन सिंह प्रार्थना पत्र कागज संख्या 101ग2 व छाया प्रति आपत्ति प्रार्थना पत्र 101ग2 प्रस्तुत किये गये हैं।

नियत तिथि पर उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण में मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मूलवाद संख्या 14/ 2019 दिनेशचन्द्र बनाम अरिमर्दन सिंह स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु उत्तरवादीगण/ वादीगण द्वारा संस्थित किया गया था।

जो दिनांक 01.11.2023 को वादी के पक्ष में निर्णीत हुआ। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संस्थित की गयी है। प्रकरण में अपीलार्थी ने कागज संख्या 41ग2 द्वारा आदेश 02 नियम 03 सी0पी0सी0 के तहत वाद बिन्दु विरचित करने व पत्रावली अवर न्यायालय को प्रति प्रेषित करने की प्रार्थना की है। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अपीलार्थी/ विपक्षी (मूलवाद) ने अवर न्यायालय में आदेश–02 नियम–03 सी0पी0सी0 के तहत वाद बिन्दु विरचित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 101ग2 प्रस्तुत किया था। अवर न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि उभय पक्षों के कथनों व अनुतोष के आधार पर वाद बिन्दु विरचित किये जा चुके हैं। अतिरिक्त वाद बिन्दु का सृजन वास्तविक विवाद के निस्तारण में आवश्यक नहीं है। उपरोक्त मत के साथ प्रार्थना पत्र 101ग2 निरस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के संदर्भ में अपीलार्थी/ विपक्षी ने कोई रिवीजन/ अपील प्रस्तुत नहीं की है।

मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मूलवाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया था। जो दिनांक 01.11.2023 को वादी के पक्ष में निर्णीय हुआ। उल्लेखनीय है कि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वादी को यह अधिकार रहता है कि सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में, किस प्रतिवादी के विरूद्ध अनुतोष चाहता है। अपीलार्थी/ विपक्षी ने अपने जबावदावा के पैरा–16 में आदेश–02 नियम–03 सी0पी0सी0 के सम्बन्ध में कहा है कि, ''वादीगण का यह कथन कि वाद भूमि वादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है कतई गलत है क्योंकि वाद भूमि के सम्पूर्ण रकवे में प्लाटिंग करके वादी संख्या–01 व उसके सहखातेदार रहे मृतक उमेशचन्द्र व मृतक रमेशचन्द्र व श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0 रामगोपाल द्वारा हम प्रतिवादीगण व अन्य व्यक्तियों से विक्रय प्रतिफल प्राप्त करके पूर्व में विक्रय की जा चुकी है और अब वादीगण का कोई रकवा वाद भूमि में शेष नहीं है तथा दाबा वादी आदेश–02 नियम–03 सी0पी0सी0 के प्रावधानों से बाधित है। इसी विनाय पर दावा वादीगण काबिल खण्डनीय है।'' स्पष्ट है कि आदेश–02 नियम–03 सी0पी0सी0 के सम्बन्ध में विशिष्ट कथन नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र 41ग2 स्वीकार होने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 41ग2 दिनांकित 13.11.2024 निरस्त किया जाता है। तदानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक–28.07.2025 को पेश हो।

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर जिला जज, (एफ0टी0सी0)
महोबा।

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2025.07.16 16:39:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court